# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 24/2023
दायरी दिनांक 17.04.2024

सारा देवी पुत्री कुरड़ाराम पत्नी जगनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम रसोड़ा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।

आवेदक

वनाम

भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा

अनावेदकगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956**

अधिवक्ता वादी:– श्री रामावतार ढाका
अधिवक्ता प्रतिवादी:– राजकीय पेरोकार

## निर्णय

निर्णय दिनांक :– 11.07.2024

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है किग्राम रसोड़ा, तहसील मण्डावा, (पूर्व तहसील मलसीसर) जिला झुन्झुनू में कृषि भूमि खसरा नं. 276, 277, 279, 280, 281, 282 कुल किता 6 कुल रकबा 6.70 हैक्टर भूमि अवस्थित है।वर्णित भूमि का पूर्व में सह खातेदार काश्तकार कुरड़ाराम नामक व्यक्ति था। उक्त कुरड़ाराम का इन्तकाल होने के बाद धारा 1 में वर्णित भूमि का विरासतन नामान्तकरण सं. 399 दिनांक 10.11.22 कोनावेदक द्वारा भरा गया। उक्त नामान्तकरण के आधार पर कुरड़ाराम के वारिसों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। नामान्तकरण के आधार पर स्व. कुरड़ाराम के वारिसान आवेदिका के हिस्से में धारा 1 में वर्णित भूमि का 3/8 हक हिस्सा दर्ज हुआ एंव इसी अनुसार स्व. कुरड़ाराम के वारिसान को धारा 1 में वर्णित भूमि के खातेदारी हक अधिकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार प्राप्त हुये तथा कब्जा काश्त है।नामान्तकरण दर्ज होने के बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जांच किये व बिना दस्तावेजों के राजस्व रिकॉर्ड में स्व. कुरड़ाराम के वारिसान में आवेदिका का घर पर पुकारे जाना वाला नाम ष्सारली पुत्री कुरड़ारामष दर्ज किया गया जो गलत दर्ज कर दिया गया जबकि आवेदिका के समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में आवेदिका का सही नाम सारा देवी दर्ज है। नामान्तकरण दर्ज होने के बाद से ही राजस्व रिकॉर्ड में उक्त गलत नाम की पुनरावृति होती रही जो बदस्तुर चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि में आवेदिका का स्व. कुरड़ाराम की पुत्री होने से एंव राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामान्तकरण के अनुसार 3/8 हक हिस्सा है एंव आवेदिका अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। आवेदिका एक 72 वर्षीय वृद्ध महिला है जिसको राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी नही है। आवेदिका को प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि प्राप्त नही होने के कारण पटवारी

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने राजस्व रिकॉर्ड देखकर आवेदिका को बताया कि आपका राजस्व रिकॉर्ड में नाम सही दर्ज नही है। तब आवेदिका ने राजस्व रिकॉर्ड की दिनांक 05.02.2024 को नकले निकलवाई। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सारली देवी के स्थान पर सारा देवी दर्ज किया जाने के आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये । तहसीलदार मण्डावा द्वारा पत्रांक भू.अ./2023 /936 दिनांक 26.06.2024के द्वारा रिपोर्ट पेश की फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार सारली देवी पुत्री कुरड़ाराम व सारा देवी पुत्री कुरड़ाराम एक ही व्यक्ति है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। साक्ष्या के अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम सारा देवी पुत्री कुरड़ाराम है। अतः उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः ग्राम रसोड़ा पटवार हल्का भीमसर के खाता संख्या 87 में दर्ज सारली देवी पुत्री कुरडाराम के स्थान पर सारा देवी पुत्री कुरड़ाराम कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा